

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/88

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी:-पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :- 43/2022 (अशोक कुमार बनाम हनुमान वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 12.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2024/1495 दिनांक 30.09.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.2024 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 537 रकबा 0.29 है0 भूमिका निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है0 में)	भूमि किस्म	लगान
1	अशोक कुमार पुत्र बंससेरलाल जाति माली सा. देह खातेदार	537 मी	0.1065	बा.2	-
2	इन्द्रमणी पत्नी किशनलाल हि0 196/1835 जाति प्रजापत हनुमान पुत्र महादेव हि0 1639/1835 जाति माली सा. मलसीसर खातेदार	537 मी	0.1835	बा.2	-

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गई।



47
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर